



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007



PGCIL/R/2021/M-37

दिनांक: 2 February, 2022

Shri Lalit Kumar

House No. 28, 2nd floor, Gali NO. 1,
Pratap Nagar, Andha Mughal,
Shakti Nagar (North Delhi) Delhi-110 007

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 4 January, 2022 को प्रेषित अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें।

उपरोक्त पत्र में वांछित जानकारी अनुलग्नक-1 में संलग्न है।


यदि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हो तो, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी.अनंत शर्मा

कार्यपालक निदेशक (सी. एस.) एवं अपील प्राधिकारी
केन्द्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।
ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in
फोन नंबर: 0124-2571994

धन्यवाद,

भवदीय,


(जसबीर सिंह) 02/02/22

मुख्य महाप्रबंधक (के. आ.) एवं के.लौ.सू.अधिकारी

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

अनुलग्नक-1

Sl.No.	Information sought:	Reply:
Query 1	पावरग्रिड में दिनांक 01 जनवरी 2017 और उसके बाद, 30 अप्रैल 2019 तक कितने प्रशिक्षुओं पर्यवेक्षकों को एस-1 ग्रेड में नियमित किया गया है प्रमाणित ब्यौरा उपलब्ध करायें।	उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार 01 जनवरी 2017 से 30 अप्रैल 2019 तक, पावरग्रिड केंद्रीय कार्यालय क्षेत्र में कुल 10 पर्यवेक्षक प्रशिक्षुओं को नियमित किया गया है।
Query 2	पावरग्रिड में दिनांक 01 जनवरी 2017 और उसके बाद, 30 अप्रैल 2019 तक कितने कामगारों को डब्ल्यू-3 एवं डब्ल्यू-4 ग्रेड में नियमित किया गया है प्रमाणित ब्यौरा उपलब्ध करायें।	उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार 01 जनवरी 2017 से 30 अप्रैल 2019 तक, पावरग्रिड केंद्रीय कार्यालय क्षेत्र में कोई भी कर्मचारी को डब्ल्यू-3 ग्रेड में नियमित नहीं किया गया। पावरग्रिड में डब्ल्यू-4 ग्रेड पर कर्मचारी रिक्रूटमेंट के माध्यम से रेगुलर ग्रेड में आते हैं व तत्पश्चात प्रोबेशन अवधि पूरी करने पर उनकी नियुक्ति पर पुष्टि की जाती है।
Query 3	पावरग्रिड में दिनांक 01.02.2016 से लेकर आज दिनांक (आवेदन की तारीख-31.12.2021) तक कितने पर्यवेक्षक एस-1 ग्रेड में भर्ती किया है और उनमें से कितने पर्यवेक्षकों को नियमित किया गया है प्रमाणित ब्यौरा उपलब्ध कराएं।	उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार पावरग्रिड में दिनांक 01.02.2016 से लेकर आज दिनांक (आवेदन की तारीख-31.12.2021) तक केंद्रीय कार्यालय क्षेत्र में 15 पर्यवेक्षक प्रशिक्षुओं को भर्ती किया है और उनमें से 15 को नियमित किया गया है।
Query 4	पावरग्रिड में दिनांक 01.02.2016 से लेकर आज दिनांक (आवेदन की तारीख-31.12.2021) तक कितने कामगारों को डब्ल्यू-3 एवं डब्ल्यू-4 ग्रेड भर्ती किया है और उनमें से कितने कामगारों को नियमित किया गया है प्रमाणित ब्यौरा उपलब्ध कराएं।	उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार पावरग्रिड में दिनांक 01.02.2016 से लेकर आज दिनांक (आवेदन की तारीख-31.12.2021) तक केंद्रीय कार्यालय क्षेत्र में, डब्ल्यू-3 ग्रेड में 0 और डब्ल्यू-4 ग्रेड में 8 कामगारों को भर्ती किया है। इनमें से 06 कामगारों की नियुक्ति पर पुष्टि की जा चुकी है।
Query 5	पावरग्रिड के मानव संसाधन विभाग से कार्यरत वरिष्ठ महाप्रबंधक कारपोरेट द्वारा दिनांक 14.03.2019 निर्गत अंतर कार्यालय ज्ञापन संदर्भ: के.का./मा.सं./औ.सं.वे दिनांक : 14/03/2019 की गोपनीयता की संवैधानिकता का प्रमाण उपलब्ध करावें। पावरग्रिड के किस नियमांतर्गत का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत गोपनीय रूप से पावरग्रिड मानव संसाधन विभाग में कार्यरत महाप्रबंधक के हस्ताक्षरित अंतर कार्यालय ज्ञापन दिनांक निकाला गया, सूचनामय प्रमाणित दस्तावेज़ सहित उपलब्ध करावें।	मागी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(f) के अंतर्गत नहीं आता।
Query 8	प्रमाणित गणना उपलब्ध करावें कि दिनांक 14 मार्च 2019 को वरिष्ठ महाप्रबंधक मानव संसाधन कारपोरेट द्वारा निर्गत अंतर कार्यालय ज्ञापन संदर्भ: के.का./मा.सं./औ.सं.वे दिनांक:14/03/2019 के प्रभाव से लगभग 35 वर्षों की अदधी में दिनांक 01.01.2017 के बाद और 30.04.2019 तक, एक वर्षिय प्रशिक्षण के अप्रांत नियमित किये गए	2017 वेतन संशोधन के भाग के रूप में जेटीटी, डीटी/जेओटी और डब्ल्यू4 कर्मचारियों को विशेष एकमुश्त छूट दी गई थी, जो क्रमशः 07.03.2019 तक जारी किए गए भर्ती विज्ञापनों/रोजगार कार्यालयों में अधिसूचनाओं के खिलाफ नियमितीकरण/शामिल हुए थे। (Special One-Time Dispensation was extended to JTTs, DTs / JOTs and W4 employees, who joined

Jr

	अकार्यपालको (एस 1 ग्रेड, डब्ल्यू -3 एवं डब्ल्यू -4 ग्रेड) को असंवैधानिक रूप से की गई विशेष एकमुश्त मूल वेतन वृद्धि से पावरग्रिड पर अतिरिक्त वित्तिय भार का गणनात्मक दस्तावेज़ उपलब्ध करावें ।	against recruitment advertisements / notification in employment exchanges issued till 07.03.2019, from the date of their regularization /joining respectively, as part of 2017 Pay Revision.)
Query 6	पावरग्रिड के मानव संसाधन विभाग से कार्यरत वरिष्ठ महाप्रबंधक कारपोरेट द्वारा दिनांक 14.03.2019 निर्गत अंतर कार्यालय ज्ञापन संदर्भ : के.का./मा.सं./औ.सं.वे दिनांक: 14/03/2019 का डिपार्टमेंट आफ पब्लिक एंटरप्राइजेस व उर्जा मंत्रालय से अनुमोदित नोट के प्रमाणित दस्तावेज़ की छायाप्रति उपलब्ध करावें ।	ऐसा कोई दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है ।
Query 7	प्रमाण उपलब्ध करायें कि दिनांक 14 मार्च 2019 को वरिष्ठ महाप्रबंधक मानव संसाधन कोरपोरेट द्वारा निर्गत अंतर कार्यालय ज्ञापन, पूर्व न्यायमूर्ति श्रीमान सतीश चंद्रा के नेतृत्व में बनी समिति द्वारा डी.पी.ई. को दी गई तीसरी पी.आर.सी. रिपोर्ट के बिंदु 3.2 में वर्णित एफोर्डेबिलिटी के प्रतिकूल नहीं है।	3rd Pay Revision Committee (PRC) की रिपोर्ट, पावरग्रिड पर लागू (applicable) नहीं है।

Ar